[Shri Ratan Singh Rajda]

There has been a long standing demand of people of the area that East Campus of Dehi University should be set up and that more colleges should be opened by Delhi University in trans-Yamuna area.

Now that new academic year is to commence, Ministry of Education should take action in the matter and open two more colleges, one for boys and one for girls, in the ensuing year on priority basis.

(vi) DROUGHT IN VARIOUS PARTS COUNTRY AND RELIEF WORK IN THOSE AREAS.

MR. CHAIRMAN: You are not expected to go beyond the statement which you have given to the Speaker.

श्री मुनीराम बागड़ी (हिसार): सभापति जी; देश में सूखे के कारण व सरकारी इमदादा व किसान को खेती के लिए जरूरी चीज में लापरवाही के कारण बिजली व पानी का न मिलना देश में घोर अकाल आया। आज देश में 50 प्रतिशत लोग मौत और जिन्दगी के बीच लटक रहे हैं। कुछ मामूली गेहू सरसों की फसल जो थी, नहर के पानी न मिलने के कारण और ट्यूबवेल को बिजली न मिलने के कारण हरियाणा, पजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का इलाका भी जहां पैदावार ज्यादा होती थी बहुत कम पैदा होने की संभावना है। कल और परसों की दो दिन की तेज हवा ने किसानों की खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है और बिजली की चमक से चने की फसल बिल्कुल खत्म हो गयी है। इस आपत्ति से भयंकर फसलों को क्षति पहुंची और महा-अकाल की हालत हो गयी है। अब भी सरकार अगर फसलों की बचाना चाहती है तो बिजली ट्यूबवेलों को 24 घटे दे और नहरें चलें जो फसलें बिजली और हवा से खराब हुई हैं उनकी जांच करायी जाय और किसानों को मुआवजा दिया जाय। देश के सूखाग्रस्त इलाकों में इमदादी काम शुरू किये जायें और किसानों की वसूली हर किस्म की बद की जायें।

यह चित्र यहां रख जाऊ क्या ?

सभापति महोदय : नही, नहीं हमने तो देख लिया।

Shri Gangwar. He was not here when his name was called. Hon. Members should make it a point to be present when their names are caled.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): मैं कानपुर से आ रहा हूं।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना): कभी-कभी गाड़ी लेट हो जाती है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : रेल मंत्री जिम्मेदार हैं।

(vii) *Need to amend the Civil Procedure Code, 1976 for making provision for publishing summons in newspapers at the request of parties or at court's discretion.*

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, सन् 1976 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने व्यवहार प्रक्रिया में संशोधन करते हुए उसकी व्यवस्था (आर्डर) 5 में एक नये नियम 20 (1-क) के रूप में समावेश कर साप्ताहिक समाचार-पत्रों को अदालती सम्मनों के प्रकाशन से वंचित कर दिया कि अदालती सम्मन केवल दैनिक समाचार-पत्रों में ही प्रकाशित किये जायेंगे।

उक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि अदालती सम्मनों को संबंधित पक्षकार दैनिक या साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशन के लिए अनुरोध करता था और न्यायालय